राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल बनाम कालूराम 555/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/11/2020 पारित करते हुये धारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर युक्तियुक्त आदेश पारित नही किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन करते हुये अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी एवं कैवियटकर्ता के अधिवक्ताओ की सुनवाई करने के उपरान्त भी उद्धरित तथ्यों का विवेचन/परिक्षण किये बिना एवं उद्धरित तथ्यों के सन्दर्भ में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुष्ट व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का कोई विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के लिये विधिक प्रावधानों की अनुपालना में यह आवश्यक था कि वे उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का प्रथमदृष्टया विवेचन करते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल बनाम कालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/11/2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का प्रथमदृष्टया विवेचन करते हुये विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश शीघ्रता से पारित करे | तब तक न्यायहित में विवादित आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर